टी0ए0 मिस केस सं0 383/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
31/12/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक **बाबूलाल बोदरा**, पिता/पति– **चाड़ा बोदरा**, **ग्राम– तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल**, जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **तमाड़बाँध**, थाना नं0– **125**, खाता न0– **13**, प्लॉट न0– **489**, रकवा– **0.07½** **एकड़** भूमि क्रेता **लक्ष्मण सोय, पिता/पति– स्व० माधव चन्द्र सोय, ग्राम– पुरनियाँ**, थाना– **मुफ्फसिल**, चाईबासा के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम हालसर्वे खतियान में दर्ज है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक **1301**,दिनांक **22.12.2020** के द्वारा प्राप्त है। बीमारी का ईलाज हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **लक्ष्मण सोय, पिता/पति– स्व० माधव चन्द्र सोय, ग्राम– पुरनियाँ**, थाना– **मुफ्फसिल**,चाईबासा के पास 3,**00,000.00/–(तीन लाख रुपये) मात्र।** में बिक्री करना चाहते हैं। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। आम सूचना का तामिला प्राप्त है। किसी प्रकार का कोई आपति प्राप्त नहीं हुआ है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् भी **2.50** एकड़ भूमि बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू संपत्ति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ग्रामीण मुन्डा के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **बाबूलाल बोदरा, पिता/पति– चाड़ा बोदरा, ग्राम– तमाड़बाँध**, थाना– **मुफ्फसिल** जिला–पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **तमाड़बाँध**, थाना नं0– **125** खाता न0– **13**, प्लॉट न0– **489**, रकवा– **0.07½** **एकड़**, भूमि को क्रेता **लक्ष्मण सोय, पिता/पति– स्व० माधव चन्द्र सोय, ग्राम– पुरनियाँ**, थाना– **मुफ्फसिल**, चाईबासा जिला– पश्चिमी सिंहभूम के पास छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)परन्तु (ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ....अनुमति.... दी जाती है। लेखापित 31/12 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 31/12/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	